न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/491

शोजी आत्मज श्रवण जाति मीना निवीस बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
---अपीलान्ट

बनाम

1. कमला बेवा छीतर जाति बैरवा निवासी बंसोली हाल निवासी मालेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कन्हैया लाल आत्मज छीतर जाति बैरवा निवीस बंसोली हाल निवासी मालेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. कौशल्या पुत्री छीतर जाति बैरवा पत्नी रमेश जाति बैरवा निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मंजू पुत्री छीतर जाति बैरवा पत्नी रामभरोस जाति बैरवा निवासी कलम्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. हरबाई पुत्री छीतर जाति बैरवा पत्नी बालमुकन्द जाति बेरवा निवासी भवानीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक बादल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92 (क) के अन्तर्गत ग्राम बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 574 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादी उक्त भूमि से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर

आमादा है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को नष्ट– भ्रष्ट नही करे वादीगण को बेदखल नहीं करे । दौराने वाद यदि प्रतिवादी उक्त भूमि पर कब्जा ले तो वादीगण को एक लाख रूपये के हिसाब से मुआवजा दिलाया जाकर आराजी पर वापस कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 07.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को बिना सहमति से लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं धारा 92ए का वाद पेश किया है जिसका निस्तारण मेरिट पर पक्षकारान की साक्ष्य लिया जाकर ही किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है । पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तलबी हुत दिनांक 10.04.2017 तारीख पेशी नियत थी । प्रार्थी के द्वारा जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थिति दी गई दिनांक 24.04.2017 को जवाब पेश करने के लिए अवसर चाहा न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2017 तारीख पेशी दी गई उक्त पेशी को पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से जनरल तारीख नोटिस बोर्ड पर दिनांक 03.07.2017 अंकित की गई उक्त पेशी को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर बताया गया कि आज पीठासीन अधिकारी जैतपुरा में तशरीफ रखने से आज की सभी राजस्व पत्रावली में आगामी दिनांक 15.09.2017 नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली लोक अदालत में रखते हुए दिनांक 07.06.2017 को निर्णय पारित कर दिया । इसलिए अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलान्ट को जानकारी होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । उक्त वाद जवाब में लम्बित था इसे लोक अदालत में रखा गया । सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । अपीलान्ट को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का समुचित कारण भी नहीं बताया है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के दावे की जानकारी थी । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को क्रयशुदा बताते हैं परन्तु वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते की है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । अपीलान्ट उनकी आराजी को क्रय नहीं कर सकता । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया दिनांक 08.05.2017 को आगामी तारीख पेशी 03.07.2017 दी थी और इससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 कमला उपस्थित हुई हैं शेष वादीगण एवं प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । लोक अदालत मे केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जवाबदावा प्राप्त

कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा